सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : करणसिंह गोठवाल, आर0ए0एस0

अपील माल प्रकरण सं0 48/2009

1. अजायब सिंह पुत्र सुन्दर सिह जाति जटसिख, निवासी तामकोट, तहसील पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर

— अपीलार्थी

बनाम

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

1. हल्का पटवारी फकीरवाली
2. खडंगा
3. रेखा
4. सुरजा (मृतक) पिसरान राम कोम मेघवाल, निवासी 34 आरबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

4/1 सुखी देवी पत्नि स्व. श्री सुरजाराम जाति नायक निवासी रामपुरा न्यौला, तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

4/2 गोपालराम पुत्र श्री सुरजाराम जाति नायक निवासी रामपुरा न्यौला, तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

4/3 सावित्री देवी पुत्री श्री सुरजाराम जाति नायक निवासी रामपुरा न्यौला, तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

4/4 बुधराम पुत्र श्री सुरजाराम जाति नायक निवासी रामपुरा न्यौला, तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

4/5 लालचन्द पुत्र श्री सुरजाराम जाति नायक निवासी रामपुरा न्यौला, तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

4/6 चुनीराम पुत्र श्री सुरजाराम जाति नायक निवासी रामपुरा न्यौला, तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

4/7 मेहरचन्द पुत्र श्री सुरजाराम जाति नायक निवासी रामपुरा न्यौला, तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

4/8 चेतराम पुत्र श्री सुरजाराम जाति नायक निवासी रामपुरा न्यौला, तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश 28.05.2009 तहसीलदार पदमपुर

उपस्थित : 1. श्री मोहनलाल माहर अपीलार्थी
2. श्री राजकुमार नागपाल अधिवक्ता, रेस्पो0

आदेश **दिनांक : 25—06—15**

पत्रावली राजस्व लोक अदालत के सक्षम प्रस्तुत हुई। प्रस्तुत अपील के सुसंगत तथ्य सक्षेंप में इस प्रकार हैं कि अपीलाधीन आदेश

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned by CamScanner

एकपक्षीय रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत एवं बिना अपीलार्थी को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिये पारित किया गया है। हल्का पटवारी की एकतरफा रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में वर्ष 2009 में दर्ज किया गया, जबकि विवादित आराजी को रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 4 द्वारा 12.04.1965 में जरिए रजिस्टर्ड बैयनामा द्वारा हस्तान्तरण किया जा चुका था, इसलिए प्रकरण मियाद बाहर प्रस्तुत किया गया है। रेस्पोडेंट सं 2 ता 4 जो कि विवादित भूमि के मालिक थे, ने कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। हल्का पटवारी केवल अवैध हस्तान्तरण के विरूद्ध प्रतिवेदन भू–धारक को प्रस्तुत कर सकता है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी का स्थाई निवास तामकोट तहसील करनुपर था, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सूचना पत्र तहसील पदमपुर के पते पर भेजे गये हैं। नोटिस पत्र की तामिल फोन पर की गई है जो विधिनुसार सही तामील नही है। अपीलार्थी विवादित आराजी पर पिछले 44–45 वर्ष से काबिज है । मियाद बाहर प्रार्थना पत्र पेश किया है बल्कि धारा 75 की मियाद भी गुजर चुकी हैं। अतः अपीलाधानी आदेश दिनांक 28.05.2009 निरस्त फरमया जावे एवं अपील स्वीकार की जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्टस के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। पोते पर तामील करवाई गई है। आदेश 5 नियम 17 के अनुसार तामील नहीं करवाई गई है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एस0 सी0 से नोन एस0 सी0 के संबंध में है। 47 एफ– तहसील श्री करणपुर में पड़ता है जबकि तामील तहसीलदार पदमपुर को प्रेषित की गई है। अपीलांट पर प्रोपर तामील नहीं हुई है। अपने इस तर्क के समर्थन में आर आर डी 1984 पेज 609 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया है। अतः दोंनों पक्षों को सुनकर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया जाना चाहिये।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने बहस में कहा है कि रेस्पोडेन्टस अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं और वादग्रस्त सम्पति के रिकार्डेड खातेदार हैं। उनकी जमीन पर अनाधिकृत कब्जा कर लेने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बेदखली का आदेश पारित किया गया है। अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्ति के कब्जे को किसी भी प्रकार से वैध नहीं ठहराया जा सकता है। अपने तर्को के समर्थन में आर आर डी 1983 पेज 588, 755, आर आर डी 1987 पेज 345, 475, आर आर डी 4/2005 पेज 256, आर आर टी 2011(1) पेज 674, डी0एन0जे0 2013(3) राज0 पेज 1409, ए0 आई0 आर0 2004 पेज 3457 एवं डी0बी0 स्पेशल अपील रिट नं0 642/04 निर्णय दिनांक 7–5–14 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किए हैं एवं राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183(ख) की ओर न्यायालय का ध्यान

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned by CamScanner

आकर्षित करवाया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिसम्मत् होने के कारण अपील अस्वीकार की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत् है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली, अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का गहनता से अवलोकन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 6–3–09 को पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर पत्रावली तैयार कर पेशी में ली गई तथा कब्जाधारी अजायबसिंह को जरिये नोटिस तलब करने का आदेश पारित किया गया। आगामी पेशी दिनांक 23–3–09 को अप्रार्थी का नोटिस अदम तामील प्राप्त हुआ। दिनांक 13–4–9 को भी तामील प्राप्त नहीं हुई थी। दिनांक 13–5–09 की आदेशिका में अंकित किया गया कि अप्रार्थी के नोटिस की तामील उसके पोते द्वारा की गई है। दोनों को पुनः तलब करने का आदेश पारित किया गया। दिनांक 25–8–09 की आदेशिका के अनुसार अप्रार्थी की तामील उसके पोते पर मानते हुए अप्रार्थी के खिलाफ एकपक्षीय आदेश पारित कर , अपीलाधाधीन आदेश दिनांक 28–5–09 पारित कर दियां गया। इस प्रकार, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जहॉ एक ओर दिनांक 13–5–09 को दोनों को पुनः तलब करने का आदेश पारित किया गया, वहीं बिना पूर्व के आदेश की पालना किए, दिनांक 28–5–09 को एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, जो न्यायिक दृष्टि से विधिपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है और बिना सुने प्रकरण में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

फलस्वरूप, अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.5.2009 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सभी सम्बन्धित पक्षकरों को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, पुनः नये सिरे से विधिसम्मत आदेश पारित करें। आदेश की प्रति के साथ रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को वापिस भेजा जावे। उभय पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.07.2015 को उपस्थित हो।

आदेश आज दिनांक 25–6–15 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/6/15

(करणसिंह गोदवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशा.)
श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned by CamScanner